अनुस्मारक/सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या-2/2025/857924/2025-02-5099/1/2021

प्रेषक,
एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- I.A.S. संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ:दिनांक: 21.01.2025

विषय:- अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली-1968 के नियम-16(2) के अन्तर्गत वर्ष 2024 (दिनांक 01.01.2025 के अनुसार) की की अचल सम्पत्ति का विवरण ऑनलाइन प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियुक्ति अनुभाग-5 के शासनादेश पत्र संख्या-1/2025/15/दो-5-2025-35-5(09)/2022, दिनांक 02.01.2025 (**https://shasanadesh.up.gov.in/** पर अवलोकनीय) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के DO No.-6(2)/2024-EO(PR), दिनांक 19.12.2024 (प्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों के क्रम में वर्ष 2024 का अचल सम्पत्ति का विवरण **(दिनांक 01.01.2025 के अनुसार)** ऑनलाइन माध्यम से **31 जनवरी, 2025** तक अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2- अवगत ही हैं कि ससमय अचल सम्पत्ति का विवरण दाखिल किया जाना **अनिवार्य है** तथा पदोन्नति, एमपनेलमेंट आदि में इन तथ्यों का संज्ञान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस मामले में अन्य संगत निर्देश भी समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत किये गये हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त के क्रम में समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(एम0 देवराज)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके उक्त DO No.-6(2)/2024-EO(PR), दिनांक 19.12.2024 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ विशेष सचिव (समस्त) नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. संबंधित समीक्षा अधिकारी (shashnadesh.com पर अपलोड करने हेतु)
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुस्मारक / सर्वोच्च प्राथमिकता/ महत्वपूर्ण/ समयबद्ध

प्रेषक,

एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/ मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. I.A.S. संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ:दिनांक: 21-01-2025

विषय:- अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली-1968 के नियम-16(2) के अन्तर्गत वर्ष 2024 (दिनांक 01.01.2025 के अनुसार) की अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन प्रेषितकिये जाने के संबंध में।

महोदया/ महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियुक्ति अनुभाग-5 के शासनादेश पत्र संख्या-1/2025/15/दो-5 -2025 -35-5(09)/ 2022, दिनांक 02.01.2025 (**https://shasanadesh.up.gov.in/** पर अवलोकनीय) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के DO No.-6(2)/2024-EO(PR), दिनांक 19.12.2024 (प्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों के क्रम में **वर्ष 2024 का अचल संपत्ति का विवरण (दिनांक 01.01.2025 के,अनुसार) ऑनलाइन माध्यम से 31 जनवरी , 2025 तक अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।**

2- अवगत ही हैं कि ससमय अचल संपत्ति का विवरण दाखिल किया जाना अनिवार्य है तथा पदोन्नति, एमपनेलमेंट आदि में इन तथ्यों का संज्ञान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस मामले में अन्य संगत निर्देश भी समय-समय पर , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभागभारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये हैं।

3 - अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त के क्रम में समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

Signed by
M Devaraj
Date: 21-01-2025 20:01:25

(एम0 देवराज)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके उक्त DO No.-6(2)/2024-EO(PR), दिनांक 19.12.2024 के संदर्भ में।

2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ विशेष सचिव (समस्त) नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. संबंधित समीक्षा अधिकारी (shashnadesh.com पर अपलोड करने हेतु)
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

No.4-2165.../[illegible]/GI/2024

मनीषा सक्सेना, भा.प्र.से.
Manisha Saxena, IAS
स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव
ESTABLISHMENT OFFICER &
ADDITIONAL SECRETARY
Tel. : 23092370, Fax : 23093142
E-mail : eo@nic.in

स्टै_15/दि-5-25

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली–११०००१
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSIONS
NORTH BLOCK, NEW DELHI-110001

DO No. 6(2)/2024-EO(PR)
Dated, the 19th December, 2024

Respected Chief Secretary,

As you are aware, in terms of Rule 16(2) of AIS (Conduct) Rules, 1968 and the instructions issued vide OMs dated 16.02.1960 and 04.01.1994 under this Rule, every member of the Indian Administrative Service (IAS) is required to submit annual Immovable Property Return (IPR) by 31st January of the next year. Failure on part of the members of the Service to comply with the requirements of the aforesaid provisions constitutes good and sufficient reason for, inter-alia, institution of disciplinary proceedings, against them vide this Department's OM No.104/33/2005-AVD-I dated 29.10.2007 and 07.09.2011. Further, vide notification dated 30.12.2021, Rule 3(1) of IAS (Pay) Rules, 2016 has been amended to make timely filing of IPR mandatory for being considered for appointment to the next level of pay matrix.

This Department vide DO No.6(1)/2014-EO(PR) dated 22.12.2016 successfully introduced online filing of IPR in respect of IAS officers w.e.f. 1st January, 2017 through the SPARROW Module. It is indeed a matter of immense satisfaction that the officers are submitting their IPR either electronically or uploading scanned copy of the manually filled-in IPR, over the years.

This online Module will close automatically after the prescribed timeline i.e. 31st January, 2025 in respect of the calendar year 2024. The officers need not send a hard copy either to their Cadre or to DoPT. Further, it is noticed that there are some cases where the officers fill their details online on the IPR SPARROW Portal but are not able to eSign the filed IPR. Such IPRs remain unsubmitted, causing unnecessary difficulty to the concerned officers. Therefore, the IAS Officers may be suitably sensitized to complete the process by eSigning the IPR.

In view of aforesaid background, I shall be grateful if you would issue necessary instructions to all IAS officers working in your Government and its various departments, to ensure that they submit their IPRs for the year 2024 (as on 01.01.2025) online in the IPR Module, within the prescribed timeline i.e. from 1st January, 2025 to 31st January, 2025.

With warm regards,

Yours Sincerely,

19.12.2024
(Manisha Saxena)

Chief Secretaries of the States
(As per standard list)

प्र० सि०, नियुक्ति

26/12/2024
(अमृता सोनी)
प्रमुख स्टाफ आफिसर
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन
1155/PSA/2024
VS(V)

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव,
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
30/12/24

6016/LSA/24
JS (AKD)/US(N)

(विजय कुमार)
विशेष सचिव
नियुक्ति एवं कार्मिक वि...
उत्तर प्रदेश शासन।

tinny

श्री रवि
31.12.2024

GO's
*uttarpradesh.com पर डालें।